(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को नियमित रूप से हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग करने का अवसर दिया जाता है ?

†[EMPLOYEES WITH HINDI QUALIFICATIONS IN THE MINISTRY OF LAW

163. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of LAW be pleased to state:

(a) the number of employees in his Ministry and its attached and subordinate offices who have passed B.A. or higher examinations in Hindi; and

(b) the number of persons among them who are offered opportunity in Hindi noting and drafting regularly?]

विधि उपमंत्री (श्री आर० एम० हजरनवीस) : (क) ७९ ।

(ख) गृह-कार्य मंत्रालय के हाल ही के आदेशों के अनुसार इस दृष्टि से कि यह कार्य प्रारम्भ किया जाये, सभी उन व्यक्तियों को, जिन्हें हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान है, हिन्दी पत्र-व्यवहार सम्बन्धी फाइलों पर हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग करने की अनुमति दे दी गई है ।

†[THE DEPUTY MINISTER OF LAW (SHRI R. M. HAJARNAVIS): (a) 79.

(b) All persons having adequate knowledge of Hindi have been permitted to do noting and drafting in Hindi on files dealing with Hindi correspondence to start with, in accordance with the recent orders of the Ministry of Home Affairs.]

विधि मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग का पुनर्गठन

१६४. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दी अनुभाग के पुनर्गठन की कोई योजना उनके मंत्रालय के विचाराधीन है; यदि है, तो वह योजना क्या है और उसके कब तक कार्यरूप में आने की सम्भावना है ?

†[REORGANISATION OF HINDI SECTION OF LAW MINISTRY

164. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of LAW be pleased to state whether there is any scheme for reorganising the Hindi Section under consideration of his Ministry; if so, what is that scheme and by when it is likely to materialise?]

विधि उपमंत्री (श्री आर० एम० हजरनवीस) : विधि मंत्रालय में हिन्दी अनुभाग नहीं है । केन्द्रीय अधिनियमों, विधिजात नियमों और आदेशों, अध्यादेशों, विनियमों आदि के हिन्दी अनुवाद तैयार करने, हिन्दी विधि शब्द-कोष का संकलन करने और हिन्दी में विधि प्रारूपण की उचित शैली के विकास सम्बन्धी अनुसंधान करने के लिये मंत्रालय में एक अनुवाद अनुभाग है । यह अनुभाग एक निदेशक के अधीन है । बढ़े हुए काम को निपटाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव कि अनुवाद के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाये विचाराधीन है ।

†[THE DEPUTY MINISTER OF LAW (SHRI R. M. HAJARNAVIS): There is no Hindi Section in the Ministry of Law. There is a Translation Section in the Ministry under a Director for preparing Hindi translations of Central Acts, Statutory Rules and Orders, Ordinances, Regulations etc., to compile a Hindi Law Lexicon and to do exploratory work with regard to the evolution of standard legal drafting in Hindi. A proposal to increase the strength of staff in the Translation Section to cope with the increased work is under consideration.]

†[ ] English translation.